



2026:AHC:64206

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9366 सन् 2026

लखांशु उर्फ लेखांशु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के ओर से अधिवक्ता : मोहम्मद जाकिर

विपक्षी के ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।
- श्री शतीश कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, जो मोहम्मद जाकिर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए, तथा श्री उमा शंकर मिश्रा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से, को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रस्तुत जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक लखांशु उर्फ लेखांशु की ओर से विशेष वाद संख्या 2276 सन् 2024 (जो अपराध संख्या 05 सन् 2024 से सम्बन्धित है) में उत्तर प्रदेश गुण्डा एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अन्तर्गत, थाना सालेमपुर, जनपद बुलन्दशहर में पंजीकृत मामले में, विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा इस मामले में उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक गिरोह तालिका में उसके विरुद्ध दर्शाए गए एकमात्र वाद में जमानत पर है, इसके

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त वह एक अन्य वाद में भी जमानत पर है। आवेदक दिनांक 10.10.2023

से जेल में निरुद्ध है तथा उसने वचन दिया है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समापन की कोई सम्भावना नहीं है।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

6. आवेदक गिरोह तालिका में उसके विरुद्ध दर्शाए गए एकमात्र वाद में जमानत पर है, इसके अतिरिक्त वह एक अन्य वाद में भी जमानत पर है। आवेदक दिनांक 10.10.2023 से जेल में निरुद्ध है।

7. समस्त तथ्यों, प्रकृति एवं अभिलेख में परिलक्षित साक्ष्य की समग्रता पर विचार करने के उपरान्त तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मुझे यह एक जमानत के योग्य प्रकरण प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक **लखांशु उर्फ लेखांशु**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत मुचलका एवं उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय के समक्ष अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाये या साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा, उन तारीखों पर जो (i) वाद का प्रारम्भ, (ii) आरोप-निर्धारण, एवं (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने के लिए नियत की गयी हों।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक यह वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य की तारीखों पर, जब साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण हेतु सीमित है और किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कहे गये किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।